झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1310 वर्ष 2017

दिनेश साव, पे0 श्री नागेश्वर साव, निवासी ग्राम–डुमरी, डाकघर–सिंहरानन, थाना–चौपारण, जिला–हजारीबाग .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य द्वारा सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट भवन, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगरनाथपुर, जिला–रांची में है।
2. सचिव कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार, रांची जिसका कर्यालय प्रोजेक्ट भवन, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगरनाथपुर, जिला–रांची में है।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, रांची प्रोजेक्ट भवन, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगरनाथपुर, जिला–रांची ।
4. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, अपने सचिव के माध्यम से, जिसका कार्यालय कालीनगर, चाय बागान, डाकघर एवं थाना–नामकुम, जिला–रांची में है।
5. परीक्षा नियंत्रक, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कार्यालय, काली नगर, चाय बागान डाकघर एवं थाना–नामकुम, जिला–रांची

.... प्रतिवादीगण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चन्द्रशेखर**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री पी0के0 मुखोपाध्याय, अधिवक्ता

उत्तरदाता–राज्य के लिएः– श्री सुनील सिंह, एस0सी0 (खान) के जे0सी0

उत्तरदाता–जे0एस0एस0सी0 के लिएः–श्री तेजो मिस्त्री, अधिवक्ता

3 / 20.03.2017 याचिकाकर्ता कट–ऑफ तिथि को 01.01.2016 से बदलकर 01.01.2010 करने की मांग कर रहा है। याची ने यह दलील दी है कि पिछले 30 वर्षों में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियमित नियुक्ति नहीं की गई है।

2. मामले के तथ्यों का उल्लेख करने से पहले, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि कट–ऑफ तिथि का निर्धारण एक शुद्ध प्रशासनिक कार्य है। सरकारी परिपत्र के आधार पर तय की गई अंतिम तिथि मनमाने ढंग से लागू नहीं होती। याचिकाकर्ता, जिसने वर्ष 1998 में बीएससी (ऑनर्स) पूरा किया, ने वर्ष 2015 में बी0पी0 एड0 में डिग्री प्राप्त की, जो उसे शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र बनाती है। जाहिर है, याचिकाकर्ता वर्ष 1998 में पात्र नहीं था जब उसने स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। अब, उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए, वह यह दावा नहीं कर सकता है कि इन 17 वर्षों में वह शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन का इंतजार कर रहा था और इसलिए, वह इस आधार पर कट–ऑफ तिथि में बदलाव का दावा नहीं कर सकता है कि पिछले कई वर्षों में उक्त पद पर नियमित नियुक्ति नहीं की गई है।

3. मामले में कोई गुणागुण नहीं पाते हुए, रिट याचिका खारिज की जाती है।

(श्री चन्द्रशेखर, न्याया0)